भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3386

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

3386. श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

डॉ. मनोज राजोरिया :

श्रीमती रंजीता कोली :

श्री संजय सेठ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने न्यायालय की कार्यवाहियों/फैसलों को अंग्रेजी के साथ हिंदी में इस्तेमाल करने और रखने के लिए कोई अनुदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कई न्यायालयों में न्यायिक कार्य हिन्दी में प्रारंभ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है। अतः, अधीनस्थ न्यायालयों में भाषा का उपायोग राज्यों की विषय-वस्तु है ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 (1) (क) यह कथन करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 का खंड (2) यह कथन करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह नियत किया गया है कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के उपयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए ।

संविधान के अनुच्छेद 348 का खंड (2) के अधीन राजस्थान में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । उपर्युक्त यथा उल्लिखित मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात्, हिंदी के उपयोग को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में प्राधिकृत किया गया था ।

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश 8 का नियम 2 विहित करता है कि "न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अंग्रेंजी के अलावा किसी अन्य भाषा में कोई दस्तावेज उपयोग नहीं होगा।" तदापि, फरवरी 2019 से, कतिपय विनिर्दिष्ट विषय श्रेणियो से संबंधित कुछ निर्णयो का हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद **http://main.sci.gov.invernacular_judgement** पर देखे जा सकते है ।

प्रधान मंत्री जी ने 30.04.2022 को हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायामूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के अपने भाषण में न्यायालयों की कार्यवाही में प्रादेशिक भाषा के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि सामान्य व्यक्ति भी न्यायिक प्रक्रिया को समझ सके और उससे जुड़ाव महसूस कर सके।

****